प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद- फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 16 मार्च, 2016**

विषय-विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में विकास कार्य कराने हेतु 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7560000000.00 /- (रूपये सात अरब छप्पन करोड मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-41/2015/760/अड़तीस-9-2014-04(बजट)/2014, दिनांक-21.09.2015 द्वारा मा0 सदस्यों हेतु विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्रवार कुल धनराशि रू0 2,43,30,39,629.00 (रूपये दो अरब तैतालिस करोड़ तीस लाख उन्तालीस हजार छः सौ उन्तीस मात्र) निर्गत की गयी थी एवं तत्सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/2015/802/अड़तीस-9-2015-04(बजट)/2014, दिनांक-30.09.2015 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-44/2015/842/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-18.11.2015 द्वारा संशोधन निर्गत किया गया था। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-03/2016/69/अड़तीस-9-2016-04(बजट)/2014, दिनांक-18.02.2016 द्वारा जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्रों हेतु धनराशि रू0 2,48,95,800.00 (रूपये दो करोड़ अड़तालिस लाख पन्चानबे हजार आठ सौ मात्र) की स्वीकृति एवं तत्सम्बन्धी संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2016/96/अड़तीस-9-16-04(बजट)/2014 दिनांक-26.02.2016 निर्गत किया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि 'विधायक निधि' की दिनांक-21 सितम्बर, 2015 को द्वितीय किश्त की निर्गत धनराशि के समय विधान सभा क्षेत्र-बीकापुर (नोडल जनपद-फैजाबाद) तथा मुजफ्फरनगर (नोडल जनपद-मुजफ्फरनगर) रिक्त होने के कारण विधायक निधि की कोई धनराशि निर्गत नहीं की जा सकी थी। विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 (संसदीय अनुभाग) के पत्र संख्या-360/वि0स0/संसदीय/30(सं0)/2012, दिनांक-05.03.2016 द्वारा उक्त पद पर निर्वाचन होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

3- वर्णित स्थिति के आलोक में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विधान सभा क्षेत्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की द्वितीय किश्त की क्रमशः कुल निर्धारित धनराशि रू0 50.00-50.00 लाख (रूपये पचास-पचास लाख मात्र) विधान सभा क्षेत्र-बीकापुर (नोडल जनपद-फैजाबाद) तथा मुजफ्फरनगर (नोडल जनपद-मुजफ्फरनगर) हेतु अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मार्गदर्शी सिद्वान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने सम्बन्धित मा0 विधान सभा सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- शासनोदश संख्या-107/अड़तीस-9-2015-500(1)/2015, दिनांक-09 मार्च, 2015 द्वारा वांछित प्रदेश के अन्य जनपदों से रिक्तियों/अप्रयुक्त अवशेष धनराशि की सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त निर्गत की जा सकेंगी।

(4)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या- 8/2016/ 133 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक</u>।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
12- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
13- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in